

29.5.24

पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित नहीं। वादी एवं वकील वादी से भावनें सांगवाई गई। शक्तिगष्ट आने पर वाद-पत्र वादी अदालत हाजरी अदालत के लोकोपस्थित किया गया है। पत्रावली नंबर ले कर लेना सांगित्त रूप में हो।

आदेश लेर अलाह हुनाय गफा

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)



GJCMS No.

2023/479